

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5694 /

जबलपुर, दिनांक 12/12/2018

II-14-53-15 Pt-II

श्रीमती तारा विजय सोनी, सहायक ग्रेड-तीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 12.02.18 से 12.03.18 तक 29 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13.03.18 से 20.04.18 तक 39 दिन का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 21.04.18 से 17.07.18 तक 88 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

**माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार**

सही / -

(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

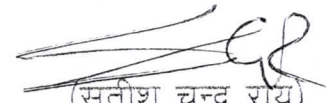
पृष्ठांकन क्रमांक C/5695 /

जबलपुर, दिनांक 12/12/2018

II-14-53-15 Pt-II

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके Memo No. Leave/2190 Indore, Dated 30/10/18 के संदर्भ में श्रीमती तारा विजय सोनी, सहायक ग्रेड-तीन सहायक ग्रेड-तीन का आवेदन पत्र एवं संलग्न सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार ।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित ।
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
